



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



**पत्रांक : 01/यो0बजट-45/2015(खण्ड-2)-600 दिनांक-08.05.2017**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल ₹0 475.066 लाख (चार करोड़ पचहत्तर लाख छः हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 7/यो0बजट-19/2013-10/स्वी0 व0प0 दिनांक-22.07.2014 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 07/यो0बजट-19/2013-03/आ0 व0प0 दिनांक 03.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल ₹0 475.066 लाख (चार करोड़ पचहत्तर लाख छः हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601789590103 | 458.740        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789590323 | 16.326         |
| <b>कुल :-</b>       |                    | <b>475.066</b> |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789590103 तथा पी0 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-45/2015(खण्ड-2)-600 दिनांक-08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संचाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-45/2015(खण्ड-2)-600 दिनांक-08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/ कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/ कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-45/2015(खण्ड-2)-600 दिनांक-08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,



वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बॉस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (गैबियन की सं०) | भौतिक लक्ष्य (200 गै० प्रति किमी) |                     |          |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
|          |   |                              | मजदूरी                            | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|          |   |                              | 252.89                            | 9.00                | 261.89   |
| i        | ii  | iii                          | vii                               | viii                | ix       |
| 1        | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग            | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 2        | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग           | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 3        | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा                    | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 4        | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा                   | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 5        | कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा                       | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 6        | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो                       | 9000                         | 22.760                            | 0.810               | 23.570   |
| 7        | रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़                       | 9000                         | 22.760                            | 0.810               | 23.570   |
| 8        | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद                         | 10299                        | 26.045                            | 0.927               | 26.972   |
| 9        | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह              | 13000                        | 32.876                            | 1.170               | 34.046   |
| 10       | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह             | 13000                        | 32.876                            | 1.170               | 34.046   |
| 11       | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा                  | 5500                         | 13.908                            | 0.495               | 14.403   |
| 12       | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा                 | 9000                         | 22.760                            | 0.810               | 23.570   |
| 13       | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर                 | 8600                         | 21.749                            | 0.774               | 22.523   |
| 14       | देवघर वन प्रमंडल, देवघर                         | 10000                        | 25.289                            | 0.900               | 26.189   |
| 15       | साठवाठ प्रमंडल, देवघर                           | 11000                        | 27.818                            | 0.990               | 28.808   |
| 16       | साठवाठ प्रमंडल, हजारीबाग                        | 11000                        | 27.818                            | 0.990               | 28.808   |
| 17       | साठवाठ प्रमंडल, कोडरमा                          | 11000                        | 27.818                            | 0.990               | 28.808   |
| 18       | साठवाठ प्रमंडल, गढ़वा                           | 11000                        | 27.818                            | 0.990               | 28.808   |
| योग :-   |   | 181399                       | 458.740                           | 16.326              | 475.066  |

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास

झारखण्ड, राँची

**दर तालिका (प्रति गैबियन)**

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन में वृक्षारोपन

बाँस-गैबियन का आकार : 6'-6"x2'-6"x2'-6"

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस :

229.90

रुपये

| क्र<br>सं० | कार्य की विवरणी   | मानव दिवस<br>(प्रति<br>गैबियन) | मजदूरी,<br>(रु० में) | सामग्री<br>प्रति हे० | कुल व्यय<br>(रु० में) |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| i          | ii  | iii                            | v                    | iv                   | vi                    |
| (A)        | <b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>  |                                |                      |                      |                       |
| 1          | पौध कोढ़नी निकौनी (प्रथम: 5ग्रा. युरिया; 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया; 5 ग्राम कीटनाशक): पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव | 0.10                           | 22.99                | 4.00                 | 26.99                 |
| 2          | पटवन  | 1.00                           | 229.90               | 5.00                 | 234.90                |
|            | <b>योग</b>  | <b>1.10</b>                    | <b>252.89</b>        | <b>9.00</b>          | <b>261.89</b>         |

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आपटल आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में खरप हेतु निम्नलिखित दर्राए गए अड्डे नीचे के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01YB-45P-2/15/600

दिनांक - 08-May-2

| क्रमांक | विषय कीड   | एकरोस नं | निकासी एवं व्यवसाय पदा.   | आवंटित राशि  |
|---------|--|----------|---|--------------|
| 1       | S 19 240601789590103<br>2406 - बागिची तथा वन्य प्राणी<br>01 - बागिची<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं घने<br>03 - गजद्वी | 28346    | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICE<br>EAST           | 2,528,900.00 |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |              |
| 2       | S 19 240601789590103<br>2406 - बागिची तथा वन्य प्राणी<br>01 - बागिची<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं घने<br>03 - गजद्वी | 28347    | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG<br>WEST DIV. HZB   | 2,528,900.00 |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |              |
| 3       | S 19 240601789590103<br>2406 - बागिची तथा वन्य प्राणी<br>01 - बागिची<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं घने<br>03 - गजद्वी | 28348    | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O., NORTH DIV.<br>CHATRA | 2,528,900.00 |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |              |

7,586,700.00

योग:

कमिक योग:

रुपये पचास लाख छियासी हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

| क्रमांक | विषय कोड   | एकसेस नं | निकासी एवं स्थान पदा                                    | आवंटित राशि  |
|---------|--|----------|---|--|
| 4       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाह्य वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं भूमे<br>03 - पत्रद्वारा | 28349    | CTRFOR003<br>MADHUKAR<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA   | 2,528,900.00<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |  |
| 5       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाह्य वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं भूमे<br>03 - पत्रद्वारा | 28350    | KDMFORA01<br>MITHILESH KUMAR<br>SINGH<br>D.F.O. KODERMA | 2,528,900.00<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ<br>रुपये पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार नौ |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |  |
| 6       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाह्य वृक्षारोपण<br>01 - क्षेत्र एवं भूमे<br>03 - पत्रद्वारा | 28351    | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D.F.O. BOKARO                | 2,276,000.00<br>रुपये दो लाख सात हजार<br>रुपये दो लाख सात हजार   |
|         | State Scheme :<br>Central Scheme :   |          |   |  |

योग

7,333,800.00

क्रमिक योग

रुपये एक करोड़ उनव्वस लाख बीस हजार बीस

14,920,500.00

*(Signature)*

(SHRI SATNAM KINOTH)







| क्रमांक                            | विषय कोड  | प्रकल्प सं | निकासी एवं व्यवस्थापक   | आवंटित राशि                                      |
|------------------------------------|---|------------|---|--|
| 13                                 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अधिकृत वन भूमि के बाह्य कुआरोंपण<br>01 - वेतन एवं भत्ता<br>03 - प्रकल्प | 28371      | PLMFOR070<br>NARESH CHANDRA<br>SINGH MUNDA<br>D.F.O.MEDININAGAR<br>OREST.DIV. | 2,174,900.00<br>रुपये इककीस लाख चौदह हजार नौ     |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |   |  |
| 14                                 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अधिकृत वन भूमि के बाह्य कुआरोंपण<br>01 - वेतन एवं भत्ता<br>03 - प्रकल्प | 28373      | DGRFORE88<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.                     | 2,528,900.00<br>रुपये पच्चीस लाख अठारह हजार नौ   |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |   |  |
| 15                                 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रकल्प योजना<br>59 - अधिकृत वन भूमि के बाह्य कुआरोंपण<br>01 - वेतन एवं भत्ता<br>03 - प्रकल्प | 28374      | DGRFORE87<br>MANEL TUOU<br>D.F.O. S.F.DIV., DGR                               | 2,781,600.00<br>रुपये सत्तरह लाख इक्यासी हजार आठ |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |   |  |

योग:

7,485,600.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़ पचास लाख अठारह हजार नौ

37,526,600.00



(SHRI SATNAM SINGH)

AND OTHERS

| क्रमसंका | विषय कोड  | एकसेस नं | निकाही एवं व्यवस्थापक  | आवृत्ति राशि  |
|----------|---|----------|--|---|
| 16       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वन्य एवं घने<br>03 - मजदूरी<br><br>State Scheme :<br>Central Scheme : | 28376    | HZBFWL007<br><br>SHREE BHAGWAN<br>MISHRA, I.F.S.<br>D.F.O., S. F. DIV.,<br>HAZARIBAG | 2,781,800.00<br><br>रुपये सत्ताइस लाख इकक्यासी हजार आठ पैसे |
| 17       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वन्य एवं घने<br>03 - मजदूरी<br><br>State Scheme :<br>Central Scheme : | 28378    | KDMFORA02<br><br>RAMESH PRASAD<br>KAMAL<br>D.F.O (S.F.) KODERMA                      | 2,781,800.00<br><br>रुपये सत्ताइस लाख इकक्यासी हजार आठ पैसे |
| 18       | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वन्य एवं घने<br>03 - मजदूरी<br><br>State Scheme :<br>Central Scheme : | 28381    | GRHFWL003<br><br>SHYAM BIHARI PRASAD<br><br>DFO SOCIAL<br>FORESTRY DIV<br>GARHW      | 2,781,800.00<br><br>रुपये सत्ताइस लाख इकक्यासी हजार आठ पैसे |

योग:

8,345,400.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ अठारवन लाख चौहत्तर हजार

45,874,000.00

  
SHRI SATNAM SINGH

SHRI SATNAM SINGH

| क्रमांक                            | विपत्र कोड   | एकरोल नं | निकासी एवं व्यवहन पदा.   | जावटित राशि                   |
|------------------------------------|--|----------|--|-------------------------------|
| 19                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28388    | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICE<br>EAST          | 90,000.00<br>रुपये नब्बे हजार |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |                               |
| 20                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28390    | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG<br>WEST DIV. MZB  | 90,000.00<br>रुपये नब्बे हजार |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |                               |
| 21                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28392    | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O. NORTH DIV.<br>CHATRA | 90,000.00<br>रुपये नब्बे हजार |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |                               |

योग:

270,000.00

क्रमिक योग:

रुपये धार करोड एकसठ लाख चयालीस हजार

46,144,000.00


  
ISHNI SATNAM SINGH

| क्रमांक                            | विपन्न कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवसाय पदा,                                 | आउटलेट राशि                      |
|------------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------|
| 22                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वारिकी तथा अन्य शासी<br>01 - वारिकी<br>789 - अनुपचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिवृत्ति वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मरम्मत | 28394     | CTRFOR003<br>MADHUKAR<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA   | 90,000.00<br>रुपये नब्बे हजार    |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |           |   |                                  |
| 23                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वारिकी तथा अन्य शासी<br>01 - वारिकी<br>789 - अनुपचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिवृत्ति वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मरम्मत | 28395     | KDMFORA01<br>MITHILESH KUMAR<br>SINGH<br>D.F.O. KODERMA | 90,000.00<br>रुपये नब्बे हजार    |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |           |   |                                  |
| 24                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वारिकी तथा अन्य शासी<br>01 - वारिकी<br>789 - अनुपचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिवृत्ति वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मरम्मत | 28396     | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D.F.O. BOKARO                | 81,000.00<br>रुपये इकठ्ठासी हजार |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |           |   |                                  |

योग:

261,000.00

कमिष्नर योग:

रुपये चार करोड़ नौसठ लाख पाँच हजार

46,405,000.00


  
ISHWAR SATNAM SINGH



| क्रमांक                            | विषय कोड  | एकड़ों में | निकासी एवं व्यवस्थापक पदा.   | आवंटित राशि                             |
|------------------------------------|---|------------|--|---|
| 25                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मासुग्री | 28397      | HZBFOR001<br>DIV. FOREST OFFICER<br>RAMGARH<br>DIV. FOREST OFFICER | 81,000.00<br>रुपये एक सौ हजार           |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |  |   |
| 26                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मासुग्री | 28400      | DHNFOR001<br>SRI SOURAV CHANDRA<br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER    | 92,700.00<br>रुपये अण्णानवे हजार सात सौ |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |  |   |
| 27                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं मासुग्री | 28403      | GRDFOR001<br>KUMAR ASHISH<br>DFO GIRIDIH EAST<br>FOR.DIV.          | 117,000.00<br>रुपये एक लाख सात हजार     |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |   |            |  |   |

योग:

290,700.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड छठह लाख पिनचानवे हजार सात सौ

46,695,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

| क्रमांक                            | विषय कोड   | एकता सं. | निकासी एवं व्यवस्थापक  | आवंटित राशि |
|------------------------------------|--|----------|--|-------------|
| 28                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष चटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28407    | GRDFOR003<br>SRI JANARDAN PRASAD<br>KESHRI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST<br>FOR. DIV. | 117,000.00  |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |             |
| 29                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष चटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28411    | GRHFWL001<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>D.F.O. NORTH DIV.<br>GARHWARA                | 49,500.00   |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |             |
| 30                                 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष चटक योजना<br>59 - अनुसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 28414    | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV. GARHWARA                  | 81,000.00   |
| State Scheme :<br>Central Scheme : |  |          |  |             |

योग.

247,500.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ उनान्तर लाख सौदवालीस हजार दो सौ

46,943,200.00

  
SHRI. ARVIND KUMAR



